

आरटीई : 8852 सीटों पर अब तक सिर्फ 5734 आवेदन आए, बीआरसी की वेतन वृद्धि रोकी

पुराना जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर बनोठ ने ली बैठक

भास्कर संवाददाता | धार

सोमवार को पुराना जिला पंचायत सभाकक्ष में बीईओ एवं बीआरसीसी की बैठक कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने ली। बैठक में आरटीई के तहत सत्र 2019-20 के लिए निःशुल्क 25 प्रतिशत प्रवेश के संबंध में समीक्षा की। इसमें बताया गया कि जिले के 866 गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 1 के लिए कुल 8852 सीटों पर अब तक जिले में 5734 आवेदन मिले हैं। कलेक्टर बनोठ ने कम आवेदन पत्र मिलने पर नाराजगी जाहिर की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य में और अधिक सुधार लाएं। साथ ही कलेक्टर बनोठ ने विकासखंडों में आवेदनों की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर बीआरसीसी की एक-एक वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए।

कलेक्टर बनोठ ने सभी गैर अनुदान प्राप्त निजी संस्थाओं के संचालकों को अपनी संस्था की आरक्षित सीटों के खिलाफ आवेदन नहीं होने पर मान्यता समाप्त किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही शासकीय माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्राम के पालकों को प्रोत्साहित कराने के लिए लक्ष्य आवंटित किए हैं। बैठक में बताया गया कि आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख 12 जून निर्धारित है। इस बैठक में जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र, सभी बीईओ, बीआरसीसी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

दक्षिण कोरिया की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी रचनात्मक शिक्षा पर फोकस होगा

अधिकारियों ने दक्षिण कोरिया से लौटकर प्रमुख सचिव के सामने दिया प्रेजेंटेशन

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के मामले में दक्षिण कोरिया पूरे विश्व में जाना जाता है। इसकी बदौलत वहां के बच्चे 12वीं के बाद ही जॉब करने लगते हैं। ज्यादातर देश साइंस, इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी (एसआईटी) बेस्ड शिक्षा पर फोकस करते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया के स्कूलों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथेमैटिक्स व आर्ट (एसटीइएएम) बेस्ड सिलेबस होता है। वहां के स्कूलों में आर्ट बेस्ड यानि बच्चों में रचनात्मकता निखारने के लिए पढ़ाई कराई जाती है। यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को प्रमुख सचिव के सामने दिए प्रेजेंटेशन के जरिये दी। पीएस ने अधिकारियों को

वहां स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग देती हैं कंपनियां

अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन में बताया कि दक्षिण कोरिया के स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आईटी कंपनियों के साथ टाइअप किया जाता है। वहां कंपनियां बच्चों को ट्रेनिंग देकर स्कूलों में प्लेसमेंट कर उन्हें जॉब भी देती है। इससे वहां के विद्यार्थी 12वीं के बाद ही जॉब करने लगते हैं। वहां के स्कूल 22 साल से कम्प्यूटराइज्ड हैं। आईटी बेस्ड शिक्षा दी जाती है।

मप्र के सरकारी स्कूलों में भी रचनात्मक शिक्षा पर जोर देने के लिए कहा और उसी तरह के पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग से 30 लोगों की

टीम 1 जून से 6 जून तक दक्षिण कोरिया के एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए दौरे पर गई थी। वहां पर टीम ने दो सरकारी स्कूल, एक विश्वविद्यालय और दो वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान का अवलोकन किया। विभाग ने तीन टीम बनाकर दक्षिण कोरिया भेजी थी। पहली टीम स्कूलों में ढांचागत सुधार, दूसरी टीम प्रक्रियात्मक और तीसरी टीम क्लास रूम टीचिंग के संबंध कार्ययोजना तैयार कर रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी।



अधिकारियों ने दक्षिण कोरिया के स्कूलों का अवलोकन कर रिपोर्ट सौंपी है। वहां की तर्ज पर मप्र के स्कूलों में क्रिएटिविटी बेस्ड शिक्षा के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

-रश्मि अरुण शर्मा, पीएस, स्कूल शिक्षा

बदलाव

फीस विनियामक कमेटी ने तीन सत्रों के लिए तय की 90 कॉलेजों की फीस

18 हजार तक बढ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (फीस कमेटी) द्वारा सोमवार को प्रदेश की 90 इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस निर्धारित कर दी है। कॉलेजों द्वारा फैकल्टी व सुविधाओं के आधार पर फीस वृद्धि के प्रस्ताव दिए गए थे। इनकी सुनवाई के लिए फीस कमेटी के अध्यक्ष कमलाकर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक की गई।

इस सुनवाई में प्रदेशभर से लगभग 90 कॉलेज शामिल हुए। कमेटी ने कॉलेजों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रजेन्टेशन के आधार पर कॉलेजों की अलग-अलग फीस तय की। हालांकि,

अभी तक कमेटी के मिनट्स फाइनल नहीं होने के कारण अधिकारियों ने फीस का खुलासा नहीं किया है। लेकिन जानकारी के अनुसार कॉलेजों के प्रजेन्टेशन व उनकी सुविधाओं के आधार पर 1 हजार से 18 हजार तक फीस निर्धारित की गई है। इसमें राजधानी के लगभग ढाई दर्जन से अधिक कॉलेज शामिल हैं। कमेटी ने तीन सत्रों के लिए इन कॉलेजों की एक हजार से लेकर 18 हजार तक फीस तय की है। कई कॉलेजों ने फीस बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मांग की थी, लेकिन फीस कमेटी ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए उचित मापदंडों के आधार पर उनकी फीस निर्धारित की है। इस संबंध में आदेश एक-दो दिनों में जारी कर दिए जाएंगे।

काउंसलिंग के पहले फीस हुई निर्धारित



फीस कमेटी ने प्रदेश के 90 कॉलेजों की फीस निर्धारित कर दी है। इससे 15 जून से शुरू होने वाले एमबीए, इंजीनियरिंग व फार्मसी के रजिस्ट्रेशन में विद्यार्थियों को काफी मदद मिलेगी। वहीं कॉलेज भी काउंसलिंग के पहले

फीस तय होने से राहत महसूस कर रहे हैं। कमेटी की सुनवाई में 90 कॉलेज शामिल थे। इनमें राजधानी के एलएनसीटी गुप के 10 कोर्स, टीआईटी के 10 कोर्स, सागर इंस्टीट्यूट के 5 कोर्स सहित रविशंकर कॉलेज व अन्य कॉलेजों की फीस निर्धारित की गई है। इसमें ऑरियंटल गुप को भी शामिल होना था। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो अपनी फीस निर्धारित नहीं करा पाए। ऐसे कॉलेजों के लिए कमेटी ने अंतिम बैठक 12 जून को रखी है। इसमें लगभग 50 कॉलेजों के साथ इसे भी शामिल किया जाएगा।

अब जीरो बैलेंस अकाउंट में भी बचत खाते की सुविधाएं

मुंबई। एजेंसी

आरबीआई ने सोमवार को जीरो बैलेंस अकाउंट्स से जुड़े नियम बदल दिए। इससे बैंक अब ऐसे खाताधारकों को चेकबुक तथा अन्य सुविधाएं दे सकेंगे। इन सुविधाओं के एवज में बैंक हालांकि खाताधारकों को खाते में कोई न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए नहीं कह सकते हैं। पहले जीरो बैलेंस अकाउंट्स पर अतिरिक्त सुविधाएं देने से वे रेग्युलर सेविंग्स अकाउंट्स बन जाते थे और उसके बाद उन खातों में न्यूनतम बैलेंस

आरबीआई ने बैंकों को ऐसे खातों पर चेकबुक तथा अन्य सुविधाएं मुफ्त देने को कहा



रखना अनिवार्य हो जाता था और अन्य शुल्क भी लागू हो जाते थे।

आरबीआई ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) अकाउंट्स के लिए नियमों में ढील दी है। इन अकाउंट्स को आम तौर पर जीरो बैलेंस अकाउंट्स

बीएसबीडी खातों के बारे में पहले ये थे नियम

बीएसबीडी अकाउंट्स से जुड़े पहले के नियमों के तहत खाताधारकों पर खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने जैसी कोई बाध्यता नहीं होती है और उन्हें कुछ न्यूनतम सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। नियमों में ढील

दिए जाने के बाद अब बीएसबीडी खाते में एक महीने में कितनी बार पैसे जमा की जा सकती है और कितनी रकम जमा की जा सकती है, इस पर कोई सीमा नहीं होगी।

या नो-फ्रिल्स अकाउंट्स भी कहा जाता है। वित्तीय समावेशीकरण की कोशिशों के तहत आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि वे बीएसबीडी को भी उसी तरह से कुछ न्यूनतम सुविधा निशुल्क दें, जिस तरह की सुविधाएं सेविंग्स अकाउंट्स में

दी जाती हैं। आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा कि बैंक पहले बताई गई न्यूनतम सुविधाओं के बाद अतिरिक्त मूल्य वर्धित सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं। इन सुविधाओं में चेक बुक जारी करना भी शामिल है।

खाते से 10 लाख की निकासी पर लग सकता है 5% टैक्स

आगामी बजट में खाते से सालभर में कुल 10 लाख रुपए की निकासी पर 3-5 फीसदी टैक्स लगाने का प्रावधान किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय इससे संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आंतरिक स्तर पर चर्चा हुई है। अभी यह तय किया जा रहा है कि कितना टैक्स लगाया जाए। यह 3-5 फीसदी के स्तर से कम नहीं होगा।

विधानसभा सत्र के पहले प्रदेश में लागू होगा सवर्ण आरक्षण

सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में लागू होगा 10 फीसदी कोटा

भोपाल। नवदुनिया स्टेट ब्यूरो

प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद अब सवर्ण वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी। आठ जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के पहले इसे लागू करने की तैयारी है। इसके लिए मंगलवार को सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। इसमें आरक्षण को क्रियान्वित करने के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी लागू होगा।

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अब

मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक

नगरीय निकाय चुनाव से पहले सवर्णों को साधने के लिए सवर्ण आरक्षण को जल्द से जल्द से लागू करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता वाली समिति बैठक करके आरक्षण को क्रियान्वित करने के लिए दस फीसदी पद बढ़ाने के साथ स्कूलों में प्रवेश के लिए कोटा तय करने को अंतिम रूप देगी। आठ लाख रुपए तक सालाना आय वाले अनारक्षित वर्ग के व्यक्तियों के प्रमाण पत्र बनाए जाने जिलों में शुरू हो गए हैं। इसके प्रारूप में भी बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि अभी जिस प्रारूप में प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं वो केंद्र सरकार की नौकरियों के अलावा केंद्रीय शैक्षणिक

संस्थानों में प्रवेश के हिसाब से हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को होने वाली बैठक में आरक्षण को क्रियान्वित करने की रणनीति पर अंतिम राय बन जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ से मशविरा करके इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

लोस चुनाव के वजह से हुआ विलंब : डॉ. सिंह

मंत्री डॉ. सिंह ने बताया कि सरकार जल्द ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण देगी। इसके लिए लोकसभा चुनाव के समय पहल की गई थी, लेकिन आचार संहिता के कारण अनुमति नहीं मिली